संख्या-1125/2026/574/22-2-2026-17(442)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 अगस्त, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र श्री महेश चन्द्र तिवारी, निवासी जनपद-औरेया की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-10410/प्रो0अनु0(2)-314/2026 (बैठक दिनांक 09.03.2026), दिनांक 20.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र श्री महेश चन्द्र तिवारी, जो रेलवे फाटक बेला रोड, थाना-दिबियापुर, जनपद-औरैया का निवासी है। दिनांक 24.12.2008 की रात्रि को अभियुक्त द्वारा 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के आवास में दरवाजा तोड़कर अन्दर जाकर एक्सियन मनोज कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर नही करने के विरोध को लेकर वादिनी मुकदमा के पति एक्सियन मनोज कुमार गुप्ता का अपहरण करके हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-446/09 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 201/149, 302/149, 342/149, 364/149, 458/149 व धारा-7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण)/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ, के आदेश दिनांक 06.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2026 तक अपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 06 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 25.02.2026 तक बंदी की आयु लगभग 51 वर्ष है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा बन्दी द्वारा गम्भीर अपराध कारित किये जाने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना अधिक प्रतीत होने, बन्दी को समयपूर्व रिहा किये जाने पर शान्ति व्यवस्था भंग हो सकने तथा संगीन वारदात घटित हो सकने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिमत दिनांक 03.11.2025 में अंकन किया गया है कि जेल मैनुअल के अनुसार 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में अभिमत नकारात्मक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया दिनांक 24.12.2008 की रात्रि को अभियुक्त द्वारा 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के आवास में दरवाजा तोड़कर अन्दर जाकर एक्सियन मनोज कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के विरोध को लेकर वादिनी मुकदमा के पति एक्सियन मनोज कुमार गुप्ता का अपहरण करके हत्या करने का अपराध कारित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र महेश चन्द्र तिवारी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनय तिवारी उर्फ त्यागी (बन्दी संख्या-2356/25) पुत्र श्री महेश चन्द्र तिवारी, निवासी जनपद-औरेया की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1125/2026/574(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।
2- पुलिस अधीक्षक, औरैया।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in